बिहार सरकार

श्री नीतीश कुमार

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन

माननीय मंत्री
अनु. जाति एवं अनु. जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार

मंत्री
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
का

बजट भाषण
वर्ष 2026-2027

प्रातः सभा

सदन की बैठक

विज्ञान प्रयोगशाला

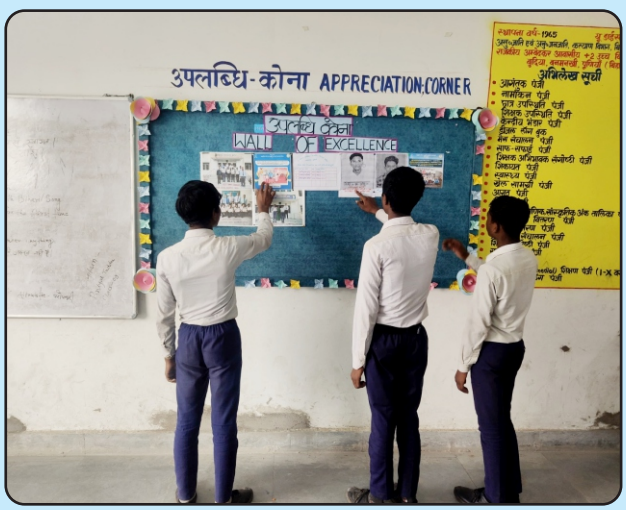

उपलब्धि-कोना

विद्यालय भवन

राष्ट्रीय गणित दिवस-2025 के अवसर पर राज्य स्तर पर आयोजित समारोह में पुरस्कृत छात्र

बिहार सरकार

मंत्री

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

का

बजट भाषण
वर्ष 2026-2027

माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2026-27 का

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से बजट माँग सं0–44 के तहत माँग प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। आप अवगत हैं कि हमारी सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु समर्पित है एवं इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु सतत् प्रयासरत है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 1,65,67,325 (एक करोड़ पैंसठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ पच्चीस) एवं अनुसूचित जनजातियों की आबादी 13,36,573 (तेरह लाख छत्तीस हजार पाँच सौ तिहत्तर) है।

इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रकार के विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के कल्याण हेतु योजना उद्व्यय में लगातार वृद्धि की जा रही है। राज्य योजना मद से वर्ष 2005–06 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लिए योजना उद्व्यय कुल ₹4048.36 लाख (चालीस करोड अड़तालीस लाख छतीस हजार) था, जो वर्ष 2025–26 में बढ़कर कुल ₹178940.00 लाख (सतरह अरब नवासी करोड़ चालीस लाख) हो गया है। इस प्रकार योजना उद्व्यय में लगभग 43 सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 28 नए आवासीय विद्यालयों के नवनिर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसके उपरान्त वर्त्तमान स्वीकृत छात्रबल 44240 से बढ़कर 96,460 हो जायेगा। वर्त्तमान में 45 आवासीय विद्यालय 10+2 स्तर के संचालित हैं।

वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनुसूचित जाति के लिए ₹35361.95 लाख (तीन अरब तिरेपन करोड़ एकसठ लाख पंचान्वे हजार रू0) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹6981.63 लाख (उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख तीरसठ हजार रू0) की राशि का बजट प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के लिए ₹190.00 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख रू0) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹1800.00 लाख (अठारह करोड़ रू0) की राशि का बजट प्रावधान है।

आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जा रहा है। विद्यालयों का निर्माण मॉडल प्राक्कलन के अनुसार कराया जा रहा है। मॉडल प्राक्कलन में विद्यालय भवन, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए

आवास, पुस्तकालय, आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त शौचालय, खेल–कूद के मैदान, CCTV कैमरा आदि की सुविधाओं का समावेश है। इसके अतिरिक्त मॉडल प्राक्कलन में पाँच वर्ष के लिए विद्यालय का रख–रखाव एवं फर्निशिंग की भी व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक की अवधि में राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति आबादी वाले 40 प्रखंडों, जिसकी आबादी 50,000 से अधिक है एवं वर्त्तमान में डा0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक–एक 720 आसन वाले डा0 भीम राव अम्बेदकर 10+2 आवासीय विद्यालयों की स्थापना एवं निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक 40 में 28 प्रखंडों में आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

40 आवासीय विद्यालयों में से शेष 12 का निर्माण कार्य कराने हेतु कार्रवाई की गई है। प्रति विद्यालय निर्माण की लागत अद्यतन दर पर लगभग ₹65.80 करोड़ है।

वर्ष 2025 में TRE-3.0 के माध्यम से 301 शिक्षक नियुक्त एवं कार्यरत है एवं वर्ष 2025 में *TRE-4.0* के माध्यम से कुल 1048 प्रधानाध्यापकों/विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2025–26 में 40 नये स्वीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए 1440 शैक्षणिक एवं 360 गैर शैक्षणिक पदों अर्थात कुल 1800 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के तहत् विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ–सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई है। इन आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र/छात्राओं के लिए स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्यकर एवं रूचिकर भोजन तथा दवा आदि की व्यवस्था की जा रही है एवं उसमें उतरोत्तर गुणवत्तावर्द्धन हेतु विभाग प्रयासरत् है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 121 (एक सौ एक्कीस) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 18 (अठारह) छात्रावास कार्यरत है। छात्रावासों में प्रतियोगी परीक्षाओं के मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री की उपलब्धता के अतिरिक्त डिजिटल अध्ययन केन्द्र का संचालन किया जा रहा है एवं 15 नए छात्रावासों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।

राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 तक 30,000 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 136 प्रखंड जहाँ छात्रावास नही है, में ₹4.90 करोड़ की दर से 100 आसन वाले छात्रावास की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। अबतक 60 नए छात्रावास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना'' अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में **''सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास''** (100 आसन) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अबतक 18 (अठारह) जिलों में सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण के लिए व्यय की स्वीकृति दी गई है।

''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना'' के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र प्रति माह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (6 किलोग्राम गेहूँ एवं 9 किलोग्राम चावल) की आपूर्त्ति की जा रही है।

महादलितों के विकास हेतु बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में महादलित के लिए विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण योजना एवं विकास मित्रों का चयन शामिल है।

राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026–27 के लिए कुल ₹500.75 करोड़ (पॉच अरब पचहत्तर लाख रू0) का बजट प्रावधान है।

महादलित समुदाय के विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) एवं वार्ड/वार्ड समूह (शहरी) से बहुलता वाले महादलित जाति के एक–एक विकास मित्र का चयन किया गया है। विकास मित्रों के चयन में 50 प्रतिशत रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कुल सृजित बल 9813 में से वर्तमान में 9731 विकास मित्र विभिन्न पंचायत/वार्ड में कार्यरत हैं। विभिन्न पंचायत/वार्ड में 86 पद रिक्त है, जिसपर नियोजन की प्रक्रिया जारी है। विकास मित्र सरकार एवं महादलित परिवारों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में एक कड़ी (Change Agent) के रुप में कार्य कर रहे हैं।

विकास मित्रों को अप्रैल 2021 से मानदेय के रूप में ₹ 13,700/– का भुगतान किया जा रहा है। 1 सितम्बर, 2023 के प्रभाव से विकास मित्रों का मानदेय ₹13700/– से बढ़ाकर ₹25000/– कर दिया गया है। साथ ही इनके मानदेय में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 5 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रावधान है। अगस्त 2015 से आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹4,00,000/– के अतिरिक्त मानदेय का 36 गुणा मृत्यु अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

विभागीय संकल्प संख्या 199 दिनांक 04.10.2025 द्वारा राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय करने के लिए एकमुश्त ₹25000/– (पच्चीस हजार) की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है एवं 01 सितम्बर, 2025 के प्रभाव से परिवहन भत्ता एवं स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि क्रमशः ₹1900 से ₹2500 एवं ₹900 से ₹1500 प्रतिमाह की दर से किया गया है। साथ ही विकास मित्रों को संचार भत्ता ₹450 से बढ़ाकर ₹750 प्रतिमाह की दर से दी जा रही है।

विकास मित्रों एवं उनके परिवारों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय भुगतान हेतु कॉरपोरेट पैकेज के अर्न्तगत खाता एवं अन्य संलग्न सुविधाओं से आच्छादन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथ पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर सभी विकास मित्रों को इससे जोड़ा गया है।

विकास रजिस्टर विकास मित्रों द्वारा वर्ष 2017 से ऑन लाईन तैयार किया जा रहा है। विकास रजिस्टर में विकास मित्रों के द्वारा महादलित परिवारों से संबंधित जानकारी संकलित की जाती है, जिसमें परिवार के सदस्यों की आर्थिक एवं शैक्षणिक जानकारी के साथ सरकार की कौन–कौन सी योजना का उपयोग/उपभोग इनके द्वारा की जा रही है, की जानकारी विकास रजिस्टर में संकलित की जाती है। विकास रजिस्टर के डाटा से सरकार/विभाग/मिशन को महादलित परिवारों के लिए योजना बनाने तथा योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभ दिलाने में मदद मिलता है। विकास रजिस्टर वर्जन 2.0 में विकास मित्रों के विभिन्न क्रियाकलाप को भी माहवार देखा जा सकता है। विकास रजिस्टर में सात निश्चय के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है।

'सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड' योजना का उद्देश्य महादलित टोला में एक ऐसे भवन का निर्माण करना है, जहाँ कोई भी सामाजिक कार्य यथा–विवाह, छट्ठी, मुडन संस्कार आदि सम्पन्न किया जा सके एवं दैनिक कार्य भी संपादित किया जा सके। सामुदायिक भवन का निर्माण महादलित बहुलता वाली पंचायत में महादलितों के सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ–साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल–कूद की गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अबतक कुल 4808 ईकाई सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राज्य स्तरीय लक्ष्य 302 है।

विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास योजना का संचालन पटना एवं गया जिला में किया जा रहा है। विशेष विद्यालय–सह–छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 महादलित छात्राओं एवं गया में 100 महादलित छात्राओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजनान्तर्गत पारंपरिक शिक्षा के साथ–साथ गैर पारंपरिक शिक्षा भी दी जा रही है।

महादलित परिवारों के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ में उनके बीच रोजगारोन्मुखी कौशल और तकनीकी दक्षता के विकास हेतु दशरथ मांझी कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्तमान में बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, पटना के माध्यम से संस्थाओं का चयन कर उनकी सूची मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है। रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु इच्छुक युवक/युवतियों का सर्वेक्षण कर डाटा अपलोड किया जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन को 23 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में 1654 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण संचालित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा "डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान" अंतर्गत विशेष विकास शिविर का आयोजन प्रत्येक ग्रामीण पंचायत में अवस्थित महादलित टोलों में दिनांक 14 अप्रैल, 2025 से 12 जुलाई, 2025 तक किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की सहभागिता के साथ 20 व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार को आच्छादित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियान के अंतर्गत जन–अपेक्षा/आवश्यकतानुसार 07 आधारभूत संरचनाओं से संबंधित योजनाओं (मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली–नाली निश्चय योजना, टोला संपर्क योजना, सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड निर्माण योजना, बिजली कनेक्शन, आंगनबाड़ी निर्माण तथा विद्यालय निर्माण) की घोषणा भी की गई।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु

पटना, दरभंगा, भागलपुर, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णियां विश्वविद्यालयों के तत्त्वावधान में एक–एक प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें GMAT/CAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है। इन केन्द्रों पर लगभग 2460 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को अग्रेतर तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते है।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹50,000/–(पचास हजार रू0) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(एक लाख रू0) की राशि देने का प्रावधान है।

विभागीय संकल्प 1012 दिनांक–21.02.2024 के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र–छात्राएँ/अभ्यर्थी के सिविल सेवा के इतर समूह–1 के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, यथा–भारतीय अभियंत्रण सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भू–वैज्ञानिक, आदि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित बिहार न्यायिक सेवा एवं अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संबंधित राज्य के सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित ग्रेड–बी की प्रारंभिक परीक्षा/भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों में परिवीक्षाधीन पदाधिकारी कर्मचारी चयन आयोग (स्नातक स्तरीय), रेलवे (स्नातक स्तरीय तकनीकी पद) की प्रारंभिक परीक्षा आदि में प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उतीर्ण होने पर ₹30,000 से ₹75,000 तक प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से अबतक 6175 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2026–27 में योजना मद से अनुसूचित जाति के लिए ₹700.00 लाख (सात करोड़ रू0) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) की राशि का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग–1 से प्रवेशिकोत्तर तक के छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य के सरकारी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभागीय संकल्प संख्या–635, दिनांक–03.02.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष–2025–26 से विद्यालय छात्रवृति (मुसहर/भुईयां सहित) की दर में वृद्वि की गई है।

विद्यालय छात्रवृत्ति की दर निम्नवत है :–

क्रमांक	वर्ग	छात्रवृति की पूर्व निर्धारित वार्षिक दर	छात्रवृति की संशोधित वार्षिक दर (दिनांक–01.04.2025 से प्रभावी)
1.	1–4	₹600/–	₹1200/–
2.	5–6	₹1200/–	₹2400/–
3.	7–10	₹1800/–	₹3600/–
4.	1 से 10 (छात्रावासी)	₹3000/–	₹6000/–

इस मद में वर्ष 2026–27 में कुल ₹421.88 करोड़ (चार सौ इक्कीस करोड़ अठासी लाख) रू0 की राशि का प्रावधान है, जिससे लगभग 38 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) से ऊपर ₹3.00 लाख (तीन लाख रू0) तक निर्धारित की गई है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति के उपरांत डी0बी0टी0 के माध्यम से छात्रवृति राशि लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित की जा रही है।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए विभागीय संकल्प संख्या–636, दिनांक–03.02.2026 द्वारा पूर्व से निर्गत संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 में निर्धारित मानदंडों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 से राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को निर्धारित शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्क के साथ अधिकतम वार्षिक सीमा 25 हजार तक देने का प्रावधान किया गया है एवं केन्द्रीय/राज्य शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निर्धारित शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्क का पूर्ण रूप से भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना'' के तहत ₹10,000/–(दस हजार रू0) एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को ₹8,000/–(आठ हजार रू0) की दर से, तथा 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/–(पंद्रह हजार रू0) एवं ₹10,000/–(दस हजार रू0) प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृति योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए कुल ₹230.00 करोड़ (दो अरब तीस करोड़ रू0) की राशि बजट में प्रस्तावित है।

प0 चम्पारण जिला के थारू एवं अन्य अनु0 जनजातियों के विकास हेतु समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत पश्चिम चम्पारण (बेतिया) जिला में की गई है। राज्य सरकार के द्वारा समेकित थरूहट विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभिन्न योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

समेकित थरूहट क्षेत्र विकास के लिए वर्ष 2010–11 से वर्ष 2024–25 तक ₹17989.93 लाख अभिकरण को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके विरूद्ध 357 योजनाएँ ली गई है, जिसमें मुख्य योजनाएँ यथा–सम्पर्क पथ, जलापूर्ति, पुस्तकालय, मुर्गी ग्राम योजना, युवा विकास (खेल सामग्री/पुस्तक), स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्टेडियम निर्माण, छात्रावास निर्माण, कम्प्युटर प्रयोगशाला, सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजना, छात्राओं के लिए कॉमन रूम, कौशल विकास प्रशिक्षण आदि हैं। अबतक ली गई कुल 357 योजनाओं में से 279 योजनाएँ पूर्ण हैं।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस मद में ₹3000.00 लाख (तीस करोड़ रू0) बजट प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य गैर अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अपराध को रोकना है तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को समाज में सुरक्षा पुनर्वास हेतु राहत राशि एवं न्यायिक सहायता प्रदान करना है।

राज्य के सभी 40 पुलिस जिलों में एक–एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष थानों की स्थापना की गयी है।

अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), नवादा, सारण (छपरा), गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), वैशाली (हाजीपुर), दरभंगा तथा समस्तीपुर जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive special Court) कार्यरत है। इसके अतिरिक्त शेष जिलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय, विशेष न्यायालय के रूप में कार्यरत है।

अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम, 15(1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभागीय संकल्प –1825 दिनांक–19.09.2020 निर्गत है। उक्त संकल्प के नियम 15(1)(घ) के तहत हत्या के मामले में मृतक के पात्र आश्रित को नियमानुसार परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। इसके तहत विभिन्न जिलों में हत्या के मामले में कुल 107 पात्र आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। अधिनियम के तहत् हत्या के मामलों में पेंशनरों की संख्या–1491 है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अबतक 14911 पीड़ितों को मुआवजा की राशि का भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनु0 जाति/अनु0 जनजाति लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹2003.00 लाख (बीस करोड़ तीन लाख) एवं केन्द्र प्रायोजित योजना में ₹8500.00 लाख (पचासी करोड़ रू0) की राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) का बजट प्रावधान है।

राज्य सरकार के द्वारा बिहार में जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

माननीय महोदय मैं, मांग संख्या–44 के तहत् वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए कुल ₹20,86,66,46,000 (बीस अरब छियासी करोड़ छियासठ लाख छियालीस हजार रूपये) से अनधिक राशि की माँग प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद।

(लखेन्द्र कुमार रौशन)

मंत्री,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

कल्याण विभाग।

कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बरौनी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज की कैडेट्स ने अलग–अलग प्रतियोगिताओं में स्वर्ण एवं रजत पदक जीता।

डॉ0 अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के दौरान ऑन स्पॉट हकदारी का वितरण करते जिला पदाधिकारी

डॉ0 भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, मनफर में संचालित मेस में भोजन करते छात्र

''प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है, कि वह अपने नासमझ और गरीब बंधुओं के हितार्थ कार्य करें, यदि शिक्षित व्यक्ति ही अपने हजारों-लाखों बंधुओं के दुःखों-तकलीफों की तरफ से मुख मोड़ लेगा तो समाज के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा''

-बाबा साहेब डॉ. भीम रॉव अम्बेडकर